न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 19 / 2020 GCMS NO 2020 / 00137

दायरा तिथि : 26.10.2020

आदेश तिथि : 27-5-2021

प्रार्थीया :–

भतेरीदेवी धर्मपत्नि रामकिशोरजी जाति धानक

निवासी गंगापुरी तहसील कोट कासिम जिला अलवर

हाल नि0 कोटबालियान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

उम्मेदसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपुत

निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 27-5-2021

आदेश

प्रार्थीया ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1703 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपुत निवासी खुडाला की खातेदारी भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 1747 / 2, 1718, 1719 / 2 क्षेत्रफल क्रमशः 1.8962 हैक्टर, 0.62 हैक्टर, 0.1838 हैक्टर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम मेंसे 15 चौडाई में खसरा नंबर 1575 गै.मु. नाला के पास से लगता हुआ, प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ,ब,स,द मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2021 / 1198 दिनांक 15.07.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1703 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी भूमि आवेदक श्रीमति भतेरीदेवी पत्नि रामकिशोर जाति धानक निवासी गंगापुरी कोट कासिम जिला अलवर के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1719 / 2	0.1838	चा.सो.जा. सो.	15.93X4.57= 72.80 वर्गमीटर	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना
2	1718	0.62	चा.सो.जा. सो.	199X4.57= 910 वर्गमीटर	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना
3	1717 / 2	1.8962	चा.सो.जा. सो.	40 X4.57= 182 वर्गमीटर	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना

3.प्रस्तावित भूमि ग्राम खुडाला की डी.एल.सी.दर 1070370 / – रूपये प्रति हैक्टर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नही हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से वकील श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश कर सरिता परिहार पत्नि अमृत परिहार, ममता परिहार पत्नि महेन्द्र परिहार एवं उर्मिला पत्नि दिनेश गहलोत को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार 02

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 19 / 2020 GCMS NO 2020 / 00137
अनवान भतेरीदेवी बनाम उम्मेदसिंह
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिस प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् दिनांक 31.08.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. खारिज करते हुये अप्रार्थी अधिवक्ता को धारा 251 (ए) के संबंध में आक्षेप प्रस्तुती अंतम समय अवसर देते हुये जवाब प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। दिनांक 13.09.2021 की नियत पेशी को अप्रार्थी अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नहीं करते हुये पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित होने तक कार्यवाही को रोके जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.09. 2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) के तहत समरी ट्रायल का होने तथा अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निस्तारण के प्रावधान होने तथा तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् भी दो माह की अवधि तक अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी पक्ष का जवाब अवसर बंद करते हुये पत्रावली को फाईनल बहस के लिये रखा गया। दिनांक 21.09.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी बहस के लिये उपस्थित नहीं हुये एवं न ही प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित बाबत् कोई आदेश जिला कलक्टर महोदय से प्राप्त हुआ। जिससे प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्णय लिया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थीया के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी की खातेदारी के खसरा नंबर 1719 / 2, 1718, 1717 / 2 से रास्ता चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार आवागमन के लिये कोई विकल्प न होने की दशा में निकटतम मार्ग से नया रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ही आवेदन किया गया है, जिस पर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। तथा अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद कोई संतोषजनक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो / शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मौजा खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1703 रकबा 0.87 हैक्टर में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर **1719 / 2 1718, 1717 / 2 मेंसे कुल 1164.80 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 1070370/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1719 / 2	0.1838	15.93X4.57=72.80 वर्गमीटर	107.04	7793 X2=15586	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना
1718	0.62	199X4.57=910 वर्गमीटर	107.04	97406X2=194812	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना
1717/2	1.8962	40X4.57= 182 वर्गमीटर	107.04	19481x2=38962	उम्मेदसिंह पुत्र रावतसिंह राजपुत रहन RMGB शाखा फालना
	योग	1164.80 वर्गमीटर	107.04	249360	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण / वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 249360 / – **(अक्षरे दो लाख उन पचास हजार तीन सौ साठ मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैराल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner